

कार्यालय नीलाम समिति, जनपद न्यायालय फरुखाबाद।


पुरानी ईंटों की बिक्री सूचना-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 636/इन्फ्रा. सेल इलाहाबाद दिनांकित जुलाई 04/2018 के अन्तर्गत, जनपद न्यायालय फरुखाबाद परिसर में आन्तरिक स्थल सुधार एवं सड़क मरम्मत में निकली पुरानी ईंटों व टुकड़ा ईंटों की बिक्री हेतु (वर्तमान में जहाँ और जैसी स्थिति में उपलब्ध है के आधार पर) सील बन्ट टेन्डर दिनांक 18.08.2018 तक आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक व्यक्ति सील बन्ट टेन्डर केन्द्रीय नज्जारत जनपद न्यायालय फरुखाबाद में नियत दिनांक 18.08.2018 को समय 4.00 बजे तक प्राप्त करा सकते हैं अथवा रजि० डाक से भेज सकते हैं। उक्त प्राप्त टेन्डर दिनांक 20.08.2018 को समय 4.30 बजे टेन्डर दाताओं की उपस्थिति में खोले जायेंगे। टेन्डर खुलने के समय टेन्डर दाताओं का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी केन्द्रीय नज्जारत जनपद न्यायालय फरुखाबाद से प्राप्त की जा सकती है।

बिक्री की शर्तें

- 1- सबसे अधिक कीमत पाये जाने वाले टेन्डर दाता के नाम बिक्री घोषित करने हेतु आख्या प्रेषित की जायेगी।
- 2- टेन्डर स्वीकृत होने पर टेन्डर दाता को ईंटों की समस्त कीमत अन्दर तीन दिन अदा करनी होगी।
- 3- बिक्रीत ईंटों की कुल कीमत अदा करने के उपरान्त समस्त ईंटों को अन्दर 15 दिन न्यायालय परिसर से उठाना होगा।
- 4- निर्धारित दिनांक व समय के उपरान्त कोई टेन्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा और न डाक से आये टेन्डरों को प्राप्त किया जायेगा।


दिनांक: 03.08.2018


अध्यक्ष नीलाम समिति,
जनपद न्यायालय, फरुखाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला न्यायालय फरुखाबाद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 2- कलेक्ट्रेट नज्जारत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 3- नगर पालिका परिषद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 4- जिला परिषद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, फतेहगढ़ को निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 6- नोडल अधिकारी जनपद न्यायालय, फरुखाबाद को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 7- बाह्य न्यायालय कायमगंज के सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
- 8- मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक: 03.08.2018


अध्यक्ष नीलाम समिति,
जनपद न्यायालय, फरुखाबाद।

Scanned by
h
2018